

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 19 अप्रैल, 2006/चैत्र 29, 1928(शक)

संख्या- 161

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उप अधीक्षक, जिला कारागार, रोहणी, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री कुलवन्त राणा को आई.पी.सी. की धारा 147/148/149/186/353/332 एवं 3 डी एवं पीडी एक्ट के अंतर्गत पुलिस स्टेशन रोहणी से दिनांक 04.04.2006 को गिरफ्तार किया गया।

उन्हें 12.4.2006 को रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Wednesday 19th April 2006/29 Chaitra 1928

No. 161

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Superintendent, District Jail Rohini, Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Kulwant Rana., Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained w/s 147/148/149/186/353/332 IPC & 3D & Pd Act. PS Rohini on 4.4.06.

He was released on 12.4.2006

Siddharath Rao
Secretary